FORM NO. III

APP-A Crim-I 8/8

फर्द अहकाम

(नियम 26) 2016/00069

जज अदालत अति० जिला कलक्टर मुकाम झुंझुनूं

अरविन्द कुमार पु० जगदीश प्रसाद मि० बनाम पवन पु० मोतीलाल नरहड़

नरहड़

किस्म मुकदमा निगरानीकार मु० नं. 12 सन् 2016

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहक्काम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.6.16	आज यह निगरानी बाद रिपोर्ट पेश हुई। वकील निगरानीकार उप०। निगरानी दर्ज रजि० की जावे। मिसल मातहत तलब हो। और निगरानीकार को जरिये सम्मन मय नकल निगरानी साथ भेजकर तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते तलबी। मिसल हेतु दिनांक 11-7-16 को पेश हो। अति. जिला कलेक्टर झुंझुनूं	
11-7-16	पत्रावली पेश हुई निगरानीकार अधि० उप०। मिसल मातहत तलब हो गैर निगरानीकार को जरिये सम्मन तलबाना भेजकर तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते मिसल तलबी दिनांक 25/7/16 को पेश हो। अति. जिला कलेक्टर झुंझुनूं	
25/7/16	पत्रावली पेश हुई निगरानीकार उप०। मिसल मातहत तलब करें व और निगरानीकार को सम्मन/तलबाना पेश होने पर जारी हो। पत्रावली वास्ते मिसल/तलबी दिनांक 8.8.16 को पेश हो। अति. जिला कलेक्टर झुंझुनूं	अति. 5/7

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
23/12/19	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। प्रार्थी/गैर निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना प्राथमिक आपत्ति का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। हस्तगत प्रकरण में निगरानीकार द्वारा ग्राम पंचायत नरहड़ द्वारा जारी पट्टा संख्या 88 दिनांक 20/3/2013 को निरस्त करवाने के लिए प्रथम अपील पंचायत समिति चिड़ावा में की गई है। जो पंचायत समिति चिड़ावा द्वारा दिनांक 11-3-2016 को अपील मियाद बाहर मानकर निरस्त कर दी गई। उसके उपरान्त पंचायत समिति के आदेश दिनांक 11-3-2016 के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। जबकि पहले पंचायत समिति चिड़ावा में प्रथम अपील होने के बाद द्वितीय अपील जिला परिषद झुंझुनूं ~~झुं~~ में होती। राज. पंचायती राज अधि. 1994 की धारा 97क में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि पंचायत समिति के किसी आदेश या निदेश के विरुद्ध 30 दिवस की अवधि में अधिकारिता रखने वाली जिला परिषद में अपील कर सकता है, ग्राम पंचायत के आदेशों के विरुद्ध प्रभावित पक्षकार के पास दो विकल्प है, प्रथम वह ग्राम पंचायत के आदेश के विरुद्ध धारा 61(1) राज. पंचायत अधि. 1994 के अन्तर्गत ~~1994 के~~ पंचायत समिति में अपील कर सकता है या फिर प्रभावित पक्षकार चाहे तो धारा 97 पंचायती राज अधि के अंतर्गत राज्य सरकार को निगरानी कर सकता है। हस्तगत प्रकरण में निगरानी पंचायत समिति चिड़ावा द्वारा प्रथम अपील में पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। जबकि राज. पंचायती राज. अधि. 1994 की ~~के अंतर्गत~~ धारा 91(4) के अंतर्गत द्वितीय अपील जिला परिषद में होगी। ऐसी	[illegible]

स्थिति में इस प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये प्रार्थी / गैर निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत यह प्रारंभिक आपत्ति प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। मौजूदा निगरानी पोषणीय नहीं होने के कारण इसी स्टेज पर खारिज की जाती है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो तथा बाद तकमील आवश्यक दाखिल दफ्तर हो।

अति. जिला कलेक्टर (...) झुंझुनू

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Prasad Agarwal
Date: 2020.01.03 12:06:35 IST
Reason: SelfAttested
Location: